35

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 945-एक/2017 - विरूद्ध - आदेश दिनांक 17-03-2017 - पारित द्वारा - अनुविभागीय अधिकारी, पिछोर जिला शिवपुरी - प्रकरण क्रमांक 15/2016-17 अपील

1- हरी सिंह 2- करतार सिंह
3- बलवीर सिंह 4- सोबरन सिंह
पुत्रगण निरन सिंह ठाकुर
ग्राम देवरी अछरोनी
तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी ---आवेदकगण

विरूद्ध

आरती उर्फ गुडडी पुत्री विक्रम सिंह
निवासी ग्राम विरासनी तहसील कोंच
जिला जालोनी उत्तर प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री राजीव रघुवंशी)

आ दे श

(आज दिनांक 2-08-2019 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, पिछोर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 15/2016-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-3-17 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार खनियाधाना द्वारा प्रकरण क्रमांक 40/2014-15 अ-6 में पारित आदेश दिनॉक 30-5-2016 से मृतक विक्रम सिंह द्वारा की गई बसीयत के आधार पर विक्रम सिंह की

भूमि पर बसीयतग्रहीता आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के समक्ष दिनांक 9-12-2016 को (लगभग 6 माह के अंतर से) अपील प्रस्तुत की एंव अपील मेमो के साथ अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी पिछोर ने अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर पक्षकारों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 17-3-17 पारित किया तथा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब के कारण सदभाविक मानकर विलम्ब क्षमा कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के क्रम में उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के अंतरिम आदेश दिनांक 17-3-17 के अवलोकन से परलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में अनावेदक ने बताया है कि जब आयुक्त, ग्वालियर संभाग के आदेशानुसार प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित हुआ था तब अनावेदकगण की साक्ष्य के मुख्य परीक्षण हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत हुये थे जिन पर प्रतिपरीक्षण के लिये 27-5-16 पेशी नियत थी। इस तिथि पर अनावेदकगण के साक्षी उपस्थित नहीं हुये और आवेदिका व उनके अभिभाषक को बताये बिना प्रकरण आदेश हेतु नियत कर दिया गया तथा तत्पतरता से आदेश दिनांक 30-5-16 पारित कर दिया गया, जिसकी सूचना आवेदक एंव उनके अभिभाषक को नहीं दी गई। न्यायालय में पूछने पर प्रकरण की स्थिति नहीं बताई गई। अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक के अवधि विधान की धारा-5 के उक्तानुसार तथ्यों से सन्तुष्ट होकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया है।

1. नंदकिशोर बनाम स्टेट आफ पॅजाब जे0टी0 1995 (7) सु0को0 69 का न्याय दृष्टांत है कि प्रकरण की परिस्थितियों के आधार पर 31 वर्ष का विलम्ब क्षमा किया जाना उचित है।
2. मान0उच्च न्यायालय द्वारा म0प्र0राज्य विरूद्ध गुलाबचंद 1996 रा0नि0 251 एंव परगनिया विरूद्ध फुलेश्वर 1996(1) म0प्र0वीकली नोट्स 164 में व्यवस्था दी है कि सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागुण की अपेक्षा नहीं की जाना चाहिये। पर्याप्त कारण का अर्थान्वयन उदारतापूर्वक करना चाहिए।
3. भाई साहव विरूद्ध बेनीसिंह 2005 रा0नि0 184 में बताया गया है कि हितबद्ध पक्षकार को पूर्व में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, उस दशा में आदेश की जानकारी होने पर 12 वर्ष का विलम्ब माफ किया जाना उचित माना गया है।

विचाराधीन प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने लगभग 6 माह के विलम्ब के कारण सद्भावना पर आधारित होने के कारण विलम्ब क्षमा किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी, पिछोर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/2016-17 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17-3-17 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर